**दिनांकः— 02.07.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की द्वितीय बैठक की कार्यवाही।**

उपस्थितिः—

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री विकास, एकजुट, अशोक नगर, राँची।
5. श्री राजेश श्रीवास्तव, PHRN, अशोक नगर, राँची।
6. श्रीमती सस्मिता जेना, Welt Hunger Hilfe (WHH), राँची।
7. श्रीमती एस0 राय, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क, राँची।
8. श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

**बैठक में अनुपस्थिति निम्न प्रकार थी :—**

1. प्रदान, अशोक नगर, राँची।
2. सिनी, अशोक नगर, राँची।
3. यूनिसेफ, कांके रोड, राँची।
4. झारखण्ड राज्य आजीविका मिशन, राँची।
5. विकास भारती, बरियातु, राँची।
6. झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची।

बैठक में सभी पदाकिधारी गण से राज्य खाद्य आयोग का परिचय कराया गया एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गईः—

(क) दिनांक — 14.12.2017 की पहली बैठक में निम्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे :—

1. श्री मनीष कुमार, **CMD**, डायनामिक तरंग, कांके रोड, राँची।
2. श्री अशर्फी नन्द प्रसाद, **ANANYA**, भोजन का अधिकार, अशोक नगर, राँची।
3. कुमार काल्यायनी, राज्य समन्वयक, प्रथम एजुकेशन फॉन्डेशन, हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, राँची।
4. श्री अनिल नारायण सिंह, अध्यक्ष, पूर्वा, कडरु, राँची।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक — 14.12.2017 की बैठक में शामिल हुए प्रतिभागियों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय।

(ग) सभी संस्थाओं से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्ययन का अनुरोध किया गया।

(घ) सभी प्रतिभागियों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा – 16 (3) (ग) में इस अधिनियम के प्रभावी कार्यावयन में सुझाव मांगा गया।

(ड.) श्री विकास, एकजुट, अशोक नगर, राँची द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :–

(i) खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु PLA/Home Visist एवं Press के माध्यम से कार्य किया जा सकता है।

(ii) Home to Home बात कर उचित समाधान निकाला जा सकता है।

(iii) एकजुट द्वारा इस प्रकार के कार्य करने से कुपोषण में सुधार देखने का मिल रहा है।

(iv) इनके द्वारा झारखण्ड में Nutrition में पश्चिमी सिंहभूम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 24 जिलों एवं उड़ीसा में भी कार्य किया जा रहा है।

(v) श्री विकास जी से एक प्रस्ताव की मांग की गई।

(च) श्री राजेश श्रीवास्तव, PHRN, अशोक नगर, राँची द्वारा निम्न सुझाव दिया गया :–

(i) आँगनबाड़ी से संबंधित कार्य गुमला, खूँटी, राँची, रामगढ़, गोड्डा एवं पश्चिमी सिंहभूम में किया जा रहा है।

(ii) आँगनबाड़ी में यदि बाल गृह (CRECH) खुले तो उचित होगा।

(iii) आँगनबाड़ी केन्द्र 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये है। 7 से 8 घण्टे के लिये आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का अनुभव अच्छा रहा।

(iv) सभी कुपोषित बच्चे को MTC में भेजने की जरुरत नहीं है। 85% बच्चों को सामुदायिक प्रभाव से ठीक किया जा सकता है।

(छ) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग द्वारा PHRN को निदेश दिया गया कि वे इसका detail आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराएँ।

(ज) श्रीमती सस्मिता जेना, Welt Hunger Hilfe (WHH) राँची द्वारा निम्न सुझाव दिया गया :–

(i) जन वितरण केन्द्रों में चावल के साथ – साथ दाल चीनी इत्यादि भी दिया जाय।

(ii) उन्होंने बताया कि कई राज्यों में यह दिया जा रहा है। वें इन राज्यों की विवरणी दें।

(झ) Welt Hunger Hilfe (WHH) निम्न निदेश दिया गया :–

(i) WHH का दिनांक – 26.02.2018 को बैठक हुई थी, इसकी अनुशंसा आयोग को उपलब्ध कराएँ।

(ii) CWS, अभिव्यक्ति foundation एवं प्रवाह इन दोनों संस्थाओं ने अच्छे – अच्छे मॉडल पेश किये थे, उसकी विवरणी आयोग को उपलब्ध कराएँ।

(iii) VHSNC कमिटि के लिए re-commondation आयोग को उपलब्ध कराएँ।

(iv) VHSNC का details एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों पर सुधार का सुझाव आयोग को उपलब्ध कराएँ, ताकि इससे संबंधित सुझाव विभाग को दिया जा सके।

(v) VHSNC के लेखा संबंधी कोई स्पष्ट आदेश की प्रति WHH के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि उन्हें दिनांक – 26.02.2018 की कार्यशाला में इसे उपलब्ध कराने के लिये कहा गया था। 5 माह बीतने के बाद भी यह नहीं किया गया है। हम सभी केवल भाषणोमुख हो गये हैं।

अगली बैठक अगस्त के प्रथम सप्ताह में रखने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0 / –
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0(विविध)35 / 2018 – दिनांक :–

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव / सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग / माननीय मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0(विविध)35 / 2018– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री विकास, एकजुट, House No-304/C, रोड नं0 1 A, अशोक नगर, राँची / श्री राजेश श्रीवास्तव PHRN, 363 A first floor, रोड नं0–4 B, अशोक नगर, राँची / श्रीमती सुस्मिता जेना Welt Hunger Hilfe (WHH), राँची / श्रीमती एस0 राय, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग,राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0(विविध)35 / 2018– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग,राँची।